

7/9/20 कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण
वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया.
है। पेशी इत्तवा होकर पत्रावली दिनांक 17/9/20 को पेश हो।

17/9/20 कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण
वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया.
है। पेशी इत्तवा होकर पत्रावली दिनांक 02/11/20 को पेश हो।

28/9/20 पार्थी उप.।
मूल निगरानी के साथ-साथ पत्रावली भी
आज पेश हुई। मुंकी मूल निगरानी जरिये
विशाल आरिज हो जाने से, इस तरह स्वयं
पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने
के पत्रावली को आरिज किया जाता है। पत्रावली
मूल निगरानी के माध्यम से लाने वाली है।
पत्रावली सुमार पेश होकर इस न्यायालय
से नम्बर ले कम हो।

जिला कलेक्टर, बाली

मोहरी (म/म)

4-33
02/11/20

